राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

क्र.1239/शो.शा./रामातोविवि/ग्वा./2019 ग्वालियर, दिनांक : 27/05/2019

//शोध संबंधी प्रमुख निर्देश //

प्रति,

समस्त शोधार्थी
राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला
विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

विश्वविद्यालय के समस्त शोधार्थियों को सूचित किया जाता है कि यू.जी.सी. अध्यादेश 5 जुलाई 2016 के नियमानुसार :–

1. सत्र 2016 के बाद के शोधार्थियों के लिये पीएच.डी. पाठ्यक्रम की अवधि न्यूनतम तीन वर्ष की होगी जिसमें पाठ्यक्रम (कोर्स–वर्क) से सम्बंधित कार्य भी शामिल होगा, तथा अधिकत्तम अवधि 6 वर्ष की होगी।

2. उपर्युक्त सीमा के अतिरिक्त समय विस्तारण को उन सापेक्ष धाराओं द्वारा अभिशाषित किया जायेगा जो कि सम्बंधित संस्थान/विश्वविद्यालय की सांविधि/अध्यादेश में विनिर्धारित है।

3. महिला अभ्यर्थी तथा निःशक्त व्यक्ति (जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक हो) उन्हें पीएच.डी. के लिये अधिकत्तम 02 वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी। इसके अतिरिक्त महिला अभ्यर्थियों को पीएच.डी. के समग्र अवधि में एक बार 240 दिनों का मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

4. उपर्युक्त समय पूर्ण होने से पूर्व शोधार्थी को 6 माह शोध अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन करना होगा अन्यथा स्वतः ही पंजीयन निरस्त माना जायेगा।

5. यू.जी.सी. अध्यादेश 5 जुलाई 2016 के पूर्व का शोधार्थी विश्वविद्यालय अध्यादेश 21 के अनुसार पीएच.डी. की अवधि न्यूनतम 24 माह तथा पंजीयन दिनांक से 4 सत्र तक शोध प्रबंध जमा नहीं करता है और 04 वर्ष पूर्ण होने से पहले शोध अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन नहीं करता है तो स्वतः ही शोधार्थी का पंजीयन निरस्त माना जायेगा।

6. विश्वविद्यालय अध्यादेश 21 के अनुसार कुलपति के अनुमोदन पर एक वर्ष के लिये शोध अवधि बढ़ाई जा सकती है। अगर इस अवधि में भी थीसिस सबमिट नहीं हो पाती है तो स्वतः ही पंजीयन निरस्त माना जायेगा।

7. उक्त समयावधि के उपरांत भी अगर शोधार्थी शोध प्रबंध जमा नहीं कर पाता है तो अगर कुलपति चाहे तो अपने विशेषाधिकार से शोधार्थी को पुनः 24 माह के लिये पंजीयन की अनुशंसा कर सकता है। जिसका अनुमोदन शोध सलाहकार समिति से लिया जायेगा तभी पुनः पंजीयन संभव हो सकता है।

8. शोध अवधि बढ़ाने हेतु शोध समयावधि समाप्त होने के एक माह पूर्व ही आवेदन करना आवश्यक होगा अन्यथा अवधि समाप्त होने पश्चात आवदेन करने पर शोधार्थी का पंजीयन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

9. जो शोधार्थी लगातार 02 छमाही प्रगति आख्या प्रस्तुत नहीं करेंगे उनका पंजीयन निरस्त किया जा सकता है।

10. यू.जी.सी. अध्यादेश 5 जुलाई 2016 के अनुसार शोधार्थी छः माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति के सम्बंध में एक प्रस्तुति देगा। शोध सलाहकार समिति द्वारा छमाही प्रगति रिपोर्ट संस्थान/वि.वि. को तथा इसकी एक प्रति शोधार्थी को दी जावेगी।

11. यदि शोधार्थी की प्रगति असंतोष जनक हो तो शोध सलाहकार समिति इसके कारण दर्ज करेगी तथा विचारात्मक उपाय सुझायेगी। यदि शोधार्थी इन उपचारात्मक उपायों को कार्यान्वित करने में असफल बना रहता है तो शोध सलाहकार समिति शोधार्थी के पंजीकरण को रद्द करने के विशिष्ट कारण दर्ज कर संस्थान/वि.वि. को इसकी सिफारिश कर सकती है।

12. यू.जी.सी. अध्यादेश 5 जुलाई 2016 के अनुसार शोध प्रबंध/थीसिस को जमा करने से पूर्व शोधार्थी शोध सलाहकार समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा जिसमें सभी संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी उपस्थित होंगे। उनसे प्राप्त हुई प्रतिपुष्टि तथा टिप्पणियों को शोध सलाहकार समिति के परामर्श से मसौदा शोध प्रबंध/थीसिस में उपर्युक्त रूप से शामिल किया जायेगा।

13. यू.जी.सी. अध्यादेश 5 जुलाई 2016 के अनुसार अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई आलोचना पर मौखिक परीक्षा, शोध पर्यवेक्षक तथा दो बाह्य परीक्षकों में से कम से कम एक बाह्य परीक्षक द्वारा की जावेगी इसमें शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण तथा विभाग में संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी और इस विषय में रूचि लेने वाले अन्य विशेषज्ञ/शोधकर्ता भी भाग ले सकते हैं।

14. न्यूनतम एक वर्ष से अधिक समय तक सेमेस्टर शोध शुल्क शेष नहीं होना चाहिये।

S.R. Singh

प्रभारी शोध शाखा